संख्या- 3/2015/ 270/11-6-2015-एम(47)/14

पे्रषक,

डा0 सूर्य प्रकाश,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
मनोरंजन कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

कर एवं निबन्धन अनुभाग-6 लखनऊः:दिनांकः 08 अपै्रल, 2015

विषयः वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-90 के लेखा शीर्षक-2045 के अन्तर्गत व्यय हेतु प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-37/लेखा-बजट/2015-16, दिनांक 06 अपै्रल, 2015 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के लिये चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-90 के लेखाशीर्षक-''2045-वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क-आयोजनेत्तर-101-संग्रहण प्रभार-मनोरंजन कर-03-मनोरंजन कर से संबंधित अधिष्ठान'' के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0-26,93,34.000 (रूपये छब्बीस करोड़ तिरान्वे लाख चैंतीस हजार मात्र) को व्यय हेतु संलग्न विवरणानुसार आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही किया जायेगा तथा किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नई सेवाओं एवं अन्य मदों पर व्यय हेतु नहीं किया जायेगा।

3. जिन मदों पर व्यय हेतु शासन की पूर्वानुमति आवश्यक हो, ऐसे व्यय हेतु शासन की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली जाये।

4. उक्त धनराशि के व्यय करते समय वित्त विभाग द्वारा मितव्ययिता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/बजट मैनुअल के निर्देशों का अनुपालन कड़ाई के साथ सुनिश्चित किया जाय।

5. यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रतिनिधायन अधिकारों के अन्तगत जारी किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

डा0 सूर्य प्रकाश
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या- 3/2015/ 270 (1)/11-6-2015 तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9

5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

डा0 सूर्य प्रकाश
संयुक्त सचिव।

<u>शासनादेश संख्या-270/11-6-15-एम(47)/14, दिनांक 08 अप्रैल, 2015 का संलग्नक</u>

लेखाशीर्षक

2045-वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क-आयोजनेत्तर-

101-संग्रहण प्रभार-मनोरंजन कर-

03-मनोरंजन कर से सम्बन्धित अधिष्ठान (आयोजनेत्तर)

(हजार रूपये में)

मानक मद की संख्या व नाम	**वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु प्राविधानित धनराशि**	**वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु स्वीकृत धनराशि**
1.	2.	4.
01-वेतन	111952	110000
03-मंहगाई भत्ता	136581	132000
04-यात्रा व्यय	2000	2000
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	500	500
06-अन्य भत्ते	11195	11000
07-मानदेय	50	50
08-कार्यालय व्यय	1000	1000
09-विद्युत देय	100	100
11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	1000	824
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1500	1500
13-टेलीफोन पर व्यय	600	400
14- मोटर गाड़ियों का क्रय	01	-
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	5660	3200
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	4000	2000
17-किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	300	200
23-गुप्त सेवा व्यय	10	10
42-अन्य व्यय	50	50
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	50	50
45-अवकाश यात्रा व्यय	100	100
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	500	500
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	1000	800
49-चिकित्सा व्यय	3500	3000
51-वर्दी व्यय	50	50

कुल योग-आयोजनेत्तर 281699 269334

(रूपये छब्बीस करोड़ तिरान्वे लाख चैंतीस हजार मात्र)

डा0 सूर्य प्रकाश

संयुक्त सचिव।